आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम लाडुन्दा की भुमि खसरा नम्बर 397 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 हैक्टर में वादी नं. 1 को 0.39 हैक्टर का व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 को 0.42 हैक्टर का व प्रतिवादी नं0 5 को 0.52 हैक्टर का तथा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 0.17 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रहननामा उनके हिस्से तक कायम किया जाता है। भुमि खसरा नम्बर 403 रकबा 0.94 हैक्टर में वादी नं0 1 को 0.295 हैक्टर, प्रतिवादी नं. 9 को 0.30 हैक्टर, प्रतिवादी नं. 10 को 0.06 हैक्टर तथा प्रतिवादी नं0 11 को 0. 05 हैक्टर का खातेदार काश्तकार तथा भुमि खसरा नम्बर 405 रकबा 0.25 हैक्टर में वादी नं0 2 को हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी नं0 29 लगायत 31 को बहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भुमि से प्रतिवादी नं0 9 लगायत 11 का नाम हज्फ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करे। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार,**(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.– 144/2017

निर्णय दिनांक :–**24-01-2023**

दरिया सिंह वगै0 **बनाम** सुप्यार देवी वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती,

स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री रामेश्वर दयाल एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 24..01.2023 को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

"अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम लाडुन्दा की भुमि खसरा नम्बर 397 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 हैक्टर में वादी नं. 1 को 0.39 हैक्टर का व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 को 0.42 हैक्टर का व प्रतिवादी नं0 5 को 0.52 हैक्टर का तथा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 0.17 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रहननामा उनके हिस्से तक कायम किया जाता है। भुमि खसरा नम्बर 403 रकबा 0.94 हैक्टर में वादी नं0 1 को 0.295 हैक्टर, प्रतिवादी नं. 9 को 0.30 हैक्टर, प्रतिवादी नं. 10 को 0.06 हैक्टर तथा प्रतिवादी नं0 11 को 0.05 हैक्टर का खातेदार काश्तकार तथा भुमि खसरा नम्बर 405 रकबा 0.25 हैक्टर में वादी नं0 2 को हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी नं0 29 लगायत 31 को बहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भुमि से प्रतिवादी नं0 9 लगायत 11 का नाम हज्फ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नही करे। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **24.01.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़